

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी - श्री गोपालसिंह (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

करण संख्या / / 2017

दायर दि०
फैसल दि०


श्री जोगीलाल / डायालाल पाटीदार
(वादी)

अनवान
बनाम

भूमिधारी (तहसीलदार)
(प्रतिवादी)

वादी श्री जोगीलाल / डायालाल पाटीदार ने वाद प्रस्तुत कर मोजा आरा के खाता नम्बर 515 जमाबन्दी सं० में अंकित स्वयं/पिता का नाम डायालाल जोगीलाल / डायालाल तेली गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम जोगीलाल / डायालाल पाटीदार है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम जोगीलाल / डायालाल तेली दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है। प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम जोगीलाल / डायालाल पाटीदार होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि मोजा आरा की जमाबन्दी संवत् 2073-76 के खाता संख्या 515 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम जोगीलाल / डायालाल तेली में संशोधन कर सही नाम जोगीलाल / डायालाल पाटीदार दर्ज रेकार्ड किया जावे। निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा